ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 2, March 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

महिला सशक्तीकरण

Dr. Geeta Srivastava

Assistant Professor, Department of Political Science, T.N.P.G.College, Tanda, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh, India

सार

महिला सशक्तीकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है।[1] सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।[2] महिला सशक्तीकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारिरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।[3]

परिचय

महिला सशक्तीकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तीकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके।

भारत में महिला सशक्तीकरण

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की 'आर्थिक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की चिह्नित किया गया जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है। यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिर महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है नेशनल सैंपल सर्वे (68 वां राउंड) के अनुसार 2011-12 में महिला सहभागिता दर 25.51% थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7% थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक पुरुष ज्यादा समय तक काम कर सकता है उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है।

ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता दर्ज में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल , भूटान और बांग्लादेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज्यादा है। इन क्षेत्रों के पुरुष काम करने के लिए भारत आते हैं और उनके पीछे महिलाएं अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए खेतों में काम करती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मैं महिलाएं मात्र 17% का योगदान दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार क्रिसटीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अगर श्रम में भागीदारी करे तो भारत की GDP 27% तक बढ़ सकती है।

महिला सशक्तीकरण के लिए दिए गए अधिकार

- समान वेतन का अधिकार - समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता |
- कार्य-स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून - यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण के शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन का पैड लीव दी जाएगी।

- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार - भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम (PCPNDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।
- संपत्ति पर अधिकार - हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।
- गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार - किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
- महिला सशक्तीकरण - महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तीकरण कहलाता है
    - महिला श्रेष्ठता - समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए क्योंकि आज के समय में महिला हर क्षेत्र में आगे है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल के क्षेत्र में

विचार-विमर्श

नारीवादी सिद्धांत, सैद्धांतिक या दार्शनिक क्षेत्रों में नारीवाद का विस्तार है[3]। इसमें नृविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, महिला अध्ययन, साहित्यिक आलोचना,,[4][5] कला इतिहास, मनोविश्लेषण और दर्शन जैसे कई अंतर्गत विषय शामिल है। नारीवादी सिद्धांत का लक्ष्य लैंगिक असमानता को समझना है और लैंगिक राजनीति, शक्ति संबंधों और लैंगिकता पर ध्यान केंद्रित करना है। इन सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की आलोचना करते हुए, नारीवादी सिद्धांत का ज्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नारीवादी सिद्धांत में खोजे गए विषयों में भेदभाव, रूढ़िवादिता, वस्तुनिष्ठता (विशेष रूप से यौन वस्तुकरण), उत्पीड़न और पितृसत्ता शामिल हैं। साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में, ऐलेन शोलेटर ने तीन चरणों वाले नारीवादी सिद्धांत के विकास का वर्णन किया है। पहले वह "नारीवादी आलोचना" कहती है, जिसमें नारीवादी पाठक साहित्यिक घटनाओं के पीछे की विचारधाराओं की जांच करती है। दूसरे को शॉल्डर "गाइनोक्रिटिसिज्म" कहती है, जिसमें "महिला पाठात्मक अर्थ की निर्माता है"। आखिरी चरण को वे "लिंग सिद्धांत" कहती है, जिसमें "वैचारिक शिलालेख और यौन/लिंग प्रणाली के साहित्यिक प्रभाव का पता लगाया जाता है"।[6]

यह 1970 के दशक में फ्रांसीसी नारीवादियों द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने क्रीचर फेमिनाइन (जो 'महिला या स्त्री लेखन' के रूप में अनुवादित है) की अवधारणा विकसित की थी। हेलेन सिक्सस का तर्क है कि लेखन और दर्शन एक दूसरे के साथ-साथ फुलेउरेंथ्रिक हैं और अन्य फ्रांसीसी नारीवादियों जैसे लुस इरिगेराय ने "शरीर से लेखन" को एक विध्वंसक अभ्यास के रूप में महत्व दिया है। एक नारीवादी मनोविश्लेषक और दार्शनिक, और ब्राचा एटिंगर, कलाकार और मनोविश्लेषक, जूलिया क्रिस्टेवा के काम ने विशेष रूप से नारीवादी सिद्धांत को प्रभावित किया है और विशेष रूप से नारीवादी साहित्यिक आलोचना। हालांकि, जैसा कि विद्वान एलिजाबेथ राइट बताते हैं, "इनमें से कोई भी फ्रांसीसी नारीवादी खुद को नारीवादी आंदोलन के साथ संरेखित नहीं करती है जैसा कि अंग्रेजीभाषी दुनिया में दिखाई दिया था"। अधिकतर हालिया नारीवादी सिद्धांत, जैसे कि लिसा ल्यूसिल ओवेन्स[7] द्वारा नारीवाद को सार्वभौमिक मुक्ति आंदोलन के रूप में चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है, तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। उन्हें सिर्फ पुरुषों से ही नहीं बल्कि जातीय संरचना में भी सबसे पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है, भले ही उन्हें कई कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। महिलाओं का जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी. सामाजिक अधिकार या समानता एक जटिल प्रक्रिया है, कई प्रतिगामी ताकतें सामाजिक यथास्थितिवाद को बढ़ावा देती हैं और कभी-कभी तो वह सामाजिक विकास को पीछे धकेलती हैं।

प्रश्न यह है कि सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया क्या हो सकती हैं? इसका जवाब बहुत ही सरल, पर लक्ष्य कठिन है। शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है. समानता, स्वतंत्रता के साथ-साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है। महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा से वंचित रखने का षडयंत्र भी इसलिए किया गया कि न वह शिक्षित होंगी और न ही वह अपने अधिकारों की मांग करेंगी, यानी, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाये रखने में सहुलियत होगी. इसी वजह से महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है. हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं स्वाभाविक सामाजिक विकास के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिस कारण बालिका षिक्षा को परे रखना संभव नहीं रहा है. इसके बावजूद सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से शिक्षा को किसी ने प्राथमिकता सूची में पहले पायदान पर रखकर इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया. कई सरकारी एवं गैर सरकारी आंकड़ें

यह दर्शाते हैं कि महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है और उनके लिए प्राथमिक स्तर पर अभी भी विषम परिस्थितियाँ हैं। यानी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, उसमें बालिकाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने की सोच नहीं दिखती। महिला शिक्षकों की कमी एवं बालिकाओं के लिए अलग शौचालय नहीं होने से बालिका शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर बालकों की तुलना में बालिकाओं की शाला त्यागने की दर ज्यादा है। यद्यपि प्राथमिक स्तर की पूरी शिक्षा व्यवस्था में ही कई कमियां हैं।

प्राथमिक शिक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव है और इसकी उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होती है। इस वजह से बड़े अधिकारी या राजनेता प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था की कमियों, जरूरतों से लगातार वाकिफ नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अत: यह जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी एवं जरूरतों के प्रति स्थानीय प्रतिनिधि अधिक सजगता रखें. चूंकि शहरों की अपेक्षा गांवों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की स्थिति बदतर है, इसलिए गांवों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने पर खास जोर देने की जरूरत है।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी पिछले 10-15 वर्षों में शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं किया. सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आया है कि पुरुष पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों पर जोर दिया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं। शुरुआती दौर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कठपुतली की तरह पुरुषों के इशारे एवं दबाव में उनकी मर्जी के खिलाफ अलग कार्य नहीं किया। आज भी अधिकांश जगहों पर महिला पंच-सरपंच मुखर तो हुई हैं पर सामाजिक मुद्दों के प्रति उनमें अभी भी उदासीनता है। इसके बावजूद महिला पंचों एवं सरपंचों से ही सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है क्योंकि सामाजिक सशक्तिकरण के लिहाज से यह उनके लिए भी जरूरी है।

इन विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के कई पंचायतों में आशा की किरण दिख रही है। मध्यप्रदेश में सबसे पहले पंचायत चुनाव हुआ था इसलिए बदलाव की बयार भी सबसे बेहतर यहीं दिख रही हैं। झाबुआ, सतना, होशंगाबाद, हरदा सहित कई जिलों के कई पंचायतों की महिला सरपंचों एवं पंचों ने सामाजिक मुद्दों पर कार्य शुरू कर दिया है। खासतौर से शिक्षा के प्रति उनमें मुखरता आई है। अंतत: महिलाओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिय है कि उनकी वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है. शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा में ही गांव का विकास निहित है और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों को ही वास्तविक रूप से सशक्त माना जा सकता हैं।

नारीवादी आन्दोलन और विचारधाराऐं

शुक्र प्रतीक पर आधारित नारीवाद का प्रतीक।

कई अतिव्यापी नारीवादी आंदोलनों और विचारधाराओं ने वर्षों में विकसित हुये है।

राजनैतिक आन्दोलन

नारीवाद की कुछ शाखाएँ बृहद समाज के राजनीतिक झुकाव को बारीकी से नजर रखती हैं, जैसे उदारवाद और रूढ़िवाद, या पर्यावरण पर ध्यान केंद्रण। उदारवादी नारीवाद, समाज की संरचना को बदले बिना राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं की व्यक्तिवादी समानता की तलाश करता है। (कैथरीन रोटेनबर्ग) ने तर्क दिया है कि उदारवदी नारीवाद में नवउदारवादी चोले द्वारा नारीवाद के उस स्वरूप को सामूहिकता के बजाय व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग किया जा रहा है और सामाजिक असमानता से अलग हो रहे है। इसके कारण वह तर्क देती है कि उदारवादी नारीवाद पुरुष प्रभुत्व, शक्ति या विशेषाधिकार की संरचनाओं के किसी भी निरंतर विश्लेषण की पेशकश नहीं कर सकता है।

भौतिकवादी विचारधारा

रोज़मेरी हेनेसी और क्रिस इंग्राहम का कहना है कि नारीवाद का भौतिकवादी रूप पश्चिमी मार्क्सवादी विचार से विकसित हुआ हैं, और कई अलग-अलग (लेकिन अतिव्यापी) आंदोलनों के लिए प्रेरित किया है, जो सभी पूंजीवाद की आलोचना में शामिल हैं और

महिलाओं के लिए विचारधारा के संबंधों पर केंद्रित हैं। मार्क्सवादी नारीवाद का तर्क है कि पूंजीवाद महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण है, और घरेलू जीवन और रोजगार में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पूंजीवादी विचारधाराओं का एक परिणाम है।

अफ्रीकी-मूल की और उत्तर-औपनिवेशिक विचारधाराएँ

सारा अहमद का तर्क है कि अफ्रीकी मूल का और उत्तर-औपनिवेशिक नारीवाद "पश्चिमी नारीवादी विचार के कुछ आयोजन परिसरों" के लिये एक चुनौती पेश करती है। अपने अधिकांश इतिहास के दौरान, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की मध्यम वर्ग की श्वेत महिलाओं द्वारा नारीवादी आंदोलनों और सैद्धांतिक विकास का नेतृत्व किया गया था। हालाँकि अन्य जातियों की महिलाओं ने वैकल्पिक नारीवाद का प्रस्ताव रखा है। 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों के आंदोलन और अफ्रीका, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद के पतन के साथ इस प्रवृत्ति में तेजी आई। उस समय से, विकासशील देशों और पूर्व उपनिवेशों में रहने वाली महिलाएं, जो रंग या विभिन्न जातीयता की हैं या गरीबी में रह रही हैं, ने अतिरिक्त नारीवाद का प्रस्ताव दिया है।

सामाजिक निर्माणवादी विचारधाराएँ

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न नारीवादियों ने तर्क दिया कि लिंग की भूमिका सामाजिक रूप से निर्मित है, और यह कि संस्कृतियों और इतिहासों में महिलाओं के अनुभवों को सामान्य बताना असंभव है। उत्तर-संरचनात्मक नारीवाद, उत्तर-संरचनावाद और विखंडन के दर्शन पर बहस करने के लिए यह तर्क देता है कि लिंग की अवधारणा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रवचन के माध्यम से बनाई गई है। उत्तर आधुनिक नारीवादियों ने लिंग के सामाजिक निर्माण और वास्तविकता की विवेकी प्रकृति पर भी जोर दिया।

ट्रान्सजेंडर लोग

ट्रांसजेंडर लोगों पर नारीवादी विचार भिन्न हैं। कुछ नारीवादी ट्रांस महिलाओं को महिलाओं के रूप में नहीं देखते हैं, उनका मानना है कि जन्म के समय उनके लिंग के कारण उन्हें अभी भी पुरुष विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, कुछ नारीवादी "ट्रांसजेंडरवाद" को विचारों के कारण अस्वीकार करते हैं कि लिंग के बीच सभी व्यवहारिक मतभेद समाजीकरण का परिणाम हैं। इसके विपरीत, कई नारीवादियों और ट्रांसनारीवादियों का मानना है कि लिंग परिवर्तित महिलाओं की मुक्ति नारीवादी लक्ष्यों का एक आवश्यक हिस्सा है। नारीवाद की तीसरी लहर, ट्रान्स अधिकारों का अधिक समर्थन करते हैं। ट्रांसनारीवाद में एक प्रमुख अवधारणा ट्रांसस्त्रीद्वेष की है, जहाँ लिंग परिवर्तित महिलाओं या स्त्रीलिंग लिंग गैर अनुरूपता के प्रति तर्कहीन डर, घृणा, या भेदभाव किया जाता है।

परिणाम

प्रतिक्रियाएँ

लोगों के विभिन्न समूहों की नारीवाद को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया है, और इसके समर्थकों और आलोचकों में दोनों पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्रों का, जिनमें दोनो लड़के और लड़कियाँ दोनो शामिल है, स्वंय को नारीवादी के रूप में बताने के बजाय नारीवादी विचारों को लेकर समर्थन करना अधिक सामान्य है।[8][9][10]

नारीवाद के समर्थक

प्रो-फेमिनिज़्म, उन नारीवाद के समर्थन को कहते है जोकि नारीवादी आंदोलन के सदस्य नहीं होते है। इस शब्द का उपयोग अक्सर उन पुरुषों के संदर्भ में किया जाता है जो नारीवाद का सक्रिय समर्थन करते हैं। नारी-समर्थक पुरुष समूहों की गतिविधियों में स्कूलों में लड़कों और युवा पुरुषों के साथ हिंसा रोकने जैसे कार्य, कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न कार्यशालाओं की पेशकश करना, सामुदायिक शिक्षा अभियान चलाना और हिंसा में लिप्त पुरुष अपराधियों की काउंसलिंग शामिल है। प्रो-फेमिनिस्ट पुरुष, पुरुषों के स्वास्थ्य सम्बंधित कार्यक्रम जैसे: पोर्नोग्राफी के खिलाफ सक्रियता, जिसमें पोर्नोग्राफी विरोधी कानून, पुरुषों का अध्ययन और स्कूलों में लिंग इक्विटी पाठ्यक्रम का विकास आदि में भी शामिल होते है। कभी-कभी नारीवादी और महिला संगठन साथ आकर, घरेलू हिंसा और बलात्कार संकट केंद्रों में सहयोग करते है।[11][12]

नारीवाद विरोधी और नारीवाद की आलोचना

धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद

नारीवाद एवं लोक कथाएं

नारीवाद एवं लोक कथाएं, महिलाओं के हक व समानता की बात करता है | जो नारी को पुरुष की भांति हक दिलाने व उनको बेहतर बनाने को प्रोत्साहित करता है| किंतु नारीवाद एवं लोक कथाएं कहीं ना कहीं कठपुतली की भांति कार्य करती है | नारी को कैसा होना चाहिए, कितनी समानता चाहिए और नारी को पुरुषों के समान अधिकार की बात कही जाती है |

लोक कथाएं भी नारी की चेतना को जगाने के लिए अन्य नारियों की कथाएं समाज में सुनाई जाती हैं | ताकि उन्हें भी उन सा बनने की प्रेरणा मिले, किंतु भविष्य की नारियों के अपने भी सपने हो सकते हैं | जो उन परिस्थितियों की महिलाओं से भिन्न हो | नारियों के साथ कठपुतली जैसा व्यवहार कब तक ! माता-पिता की परवरिश में समानता होने से ही कहीं ना कहीं ऐसी असमानता खत्म हो सकती है | इसकी शुरुआत अपने घर परिवार से किया जाना चाहिए |

इतिहास हमें गलतियां ना दोहराने और उनसे कुछ सीखने की शिक्षा देता है , न कि उसे जीने की शिक्षा देता है | महिलाओं को नारीवाद शब्द के द्वारा समाज में अधिकार दिलाने की बात रखी जा रही है तथा उनकी तुलना पुरुषों से भी की जा रही है | पुरुषों के समान उनकी अभिव्यक्ति कहां तक जायज है , इसलिए उन्हें स्वयं को समझने और आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी खाके की नहीं खुले विचार की आवश्यकता है |

हमारा ध्यान यहां केंद्रित होना चाहिए की भोजन शिक्षा और नौकरी यह सभी मनुस्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में निहित है | यदि हम इन्हीं में उलझे रहे तो समाज में नारी के सम्मान की चर्चा कब करेंगे ? नारी को हमेशा पुरुषों के खाके में रखकर सम्मान और अधिकार क्यों दिलाना, जबकि दोनों प्राकृतिक रूप से सामान है | अब वक्त यह समझने का है कि स्त्री - पुरुष की अपनी प्रकृति हैं | ना की किसी एक से प्रकृति का सृजन होता है | समाज का सृजन नारी - पुरुष के सामान होने से हुआ | किसी एक के बिना समाज अधूरा है | इसलिए महिलाओं को महिला रहने दिया जाए तथा पुरुष के समान तुलनात्मक रूप ना दिया जाए | तब नारीवाद सशक्त होगा और लोककथाएं सदैव जीवंत व जाग्रत होंगी जो समाज को आगे बढ़ने में गति प्रदान करेगा |

महिला - पुरुष मनुष्य हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न तो उनकी तुलना करना ही क्यों है ? यहां समानता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, एक महिला को महिला के रूप में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा समाज में उनका अपना क्या दायित्व है वह यह स्वयं चुन सकती हैं |

सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियां निम्न हैं |

'' खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी''

इसमें एक स्त्री के शौर्य भाव को समाज में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, 'मर्दानी' शब्द उच्च और 'जनानी' शब्द निम्न क्यों हो गया | तो हमें जरूरत है आज उन शब्दों के मस्तक से शौर्य का तिलक हटा सभी का करने को |

'' खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी ''

वीर रस का भाव सिर्फ पुरुष का नहीं स्त्री का भी हो सकता है , नारियों की पुरुषों से तुलना बंद करना होगा | नारियों की भी अपनी प्रकृति और अपनी विशेषताएं हैं , जिसे वह जीवित रखना व निखारना चाहती हैं |

नारीवाद और लोक कथाएं तब सफल होंगी , जब वह नारी को उनके रूप विशेषता और शौर्य के यशगान को नारी के संदर्भ में तुलना रहित प्रस्तुत करने लगेगा | नारी स्वरूप स्वयं का है, ना कि किसी की परछाई का रूप है | इस भाव मात्रा से अन्य मुद्दे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे क्योंकि तब स्त्री को एक नारी ही नहीं मनुष्य का दर्जा मिल चुका होगा , जिसकी लड़ाई वो सदियों से लड़ती आ रही है |

समाज का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं| तो उन्हें मनुष्य का दर्जा मिलते ही आधी समस्या समाप्त हो जाएगी , और नारी की स्वयं की चेतना जगाने वह समाज को उस चेतना को समझने मात्र से आधी समस्या समाप्त हो जाएगी |

निष्कर्ष

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

यह पात्र अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए आरंभ की गई अनन्य रियायती योजना है और इसका नाम आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना है ।

(i) इकाई लागत:- एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई/लाभ केन्द्र 50000 रुपए तक की लागत वाली योजना(योजनाओं)/ परियोजना(परियोजनाओं) के लिए मियादी ऋण उपलब्ध करता है ।

(ii) सहायता की मात्रा:-एनएसटीएफडीसी योजना(योजनाओं)/परियोजना(परियोजनाओं) की लागत के 90% तक का मियादी ऋण इस शर्त पर उपलब्ध करता है कि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ योजना के अनुसार सहायता अंश का अंशदान करें और अपेक्षित आर्थिक सहायता की व्यवस्था करें । राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ वित्तीय सहायता को अन्य श्रोतों से यदि कोई हो जुटा सकती हैं ।

(iii) संप्रवर्तक का अंशदान:- संप्रवर्तक (प्रोमोटर) के न्यूनतम अंशदान पर बल नहीं दिया जा सकता

(iv) ब्याज दर:- इस योजना के लिए एनएसटीएफडीसी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से 2% वार्षिक की दर से अत्यंत रियायती ब्याज लेता है । राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियाँ अंतिम महिला लाभार्थियों पर अधिकतम 4% वार्षिक की दर पर ब्याज लगा सकती हैं ।

(v) पुनर्भुगतान अवधि:- ऋण को तिमाही/छःमाही किस्तों में जैसा भी मामला हो उचित अधिस्थगन काल सहित अधिकतम 10 वर्ष के अंतर्गत चुकाया जाना है ।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "Women's Empowerment" (PDF). मूल (PDF) से 12 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
2. ↑ "Women's Empowerment". मूल से 10 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
3. ↑ "Definition: Women Empowerment". मूल से 25 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अगस्त 2017.
4. "Feminism | Definition, History, Types, Waves, Examples, & Facts | Britannica". www.britannica.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-11-25.
5. ↑ Gamble, Sarah (2001). "The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism".
6. ↑ "हिंदी आलेख- अस्मिता एवं अस्मितामूलक-विमर्श की अवधारणा एवं सिद्धांत". विश्वहिंदीजन चौपाल. अभिगमन तिथि 2022-02-20.
7. ↑ Zajko, Vanda; Leonard, Miriam (2006). Laughing with Medusa: classical myth and feminist thought. Oxford: Oxford University Press. पृ॰ 445. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-19-927438-3.
8. ↑ Howe, Mica; Aguiar, Sarah Appleton (2001). He said, she says: an RSVP to the male text. Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press. पृ॰ 292. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8386-3915-3.
9. ↑ Showalter, Elaine (1979). "Towards a Feminist Poetics". प्रकाशित Jacobus, M. (संपा॰). Women Writing about Women. Croom Helm. पपृ॰ 25–36. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-85664-745-1.
10. ↑ E.g., Owens, Lisa Lucile (2003). "Coerced Parenthood as Family Policy: Feminism, the Moral Agency of Women, and Men's 'Right to Choose'". Alabama Civil Rights & Civil Liberties Law Review. 5: 1. SSRN 2439294.
11. ↑ Zucker, Alyssa N. (2004). "Disavowing Social Identities: What It Means when Women Say, 'I'm Not a Feminist, but ...'". Psychology of Women Quarterly. 28 (4): 423–35. डीओआइ:10.1111/j.1471-6402.2004.00159.x.
12. ↑ Burn, Shawn Meghan; Aboud, Roger; Moyles, Carey (2000). "The Relationship Between Gender Social Identity and Support for Feminism". Sex Roles. 42 (11/12): 1081–89. डीओआइ:10.1023/A:1007044802798.
13. ↑ Renzetti, Claire M. (1987). "New wave or second stage? Attitudes of college women toward feminism". Sex Roles. 16 (5–6): 265–77. डीओआइ:10.1007/BF00289954.
14. ↑ Lingard, Bob; Douglas, Peter (1999). Men Engaging Feminisms: Pro-Feminism, Backlashes and Schooling. Buckingham, England: Open University Press. पृ॰ 192. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-335-19818-4.
15. ↑ Kimmel, Michael S.; Mosmiller, Thomas E. (1992). Against the Tide: Pro-Feminist Men in the United States, 1776–1990: A Documentary History. Boston: Beacon Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-8070-6767-3.

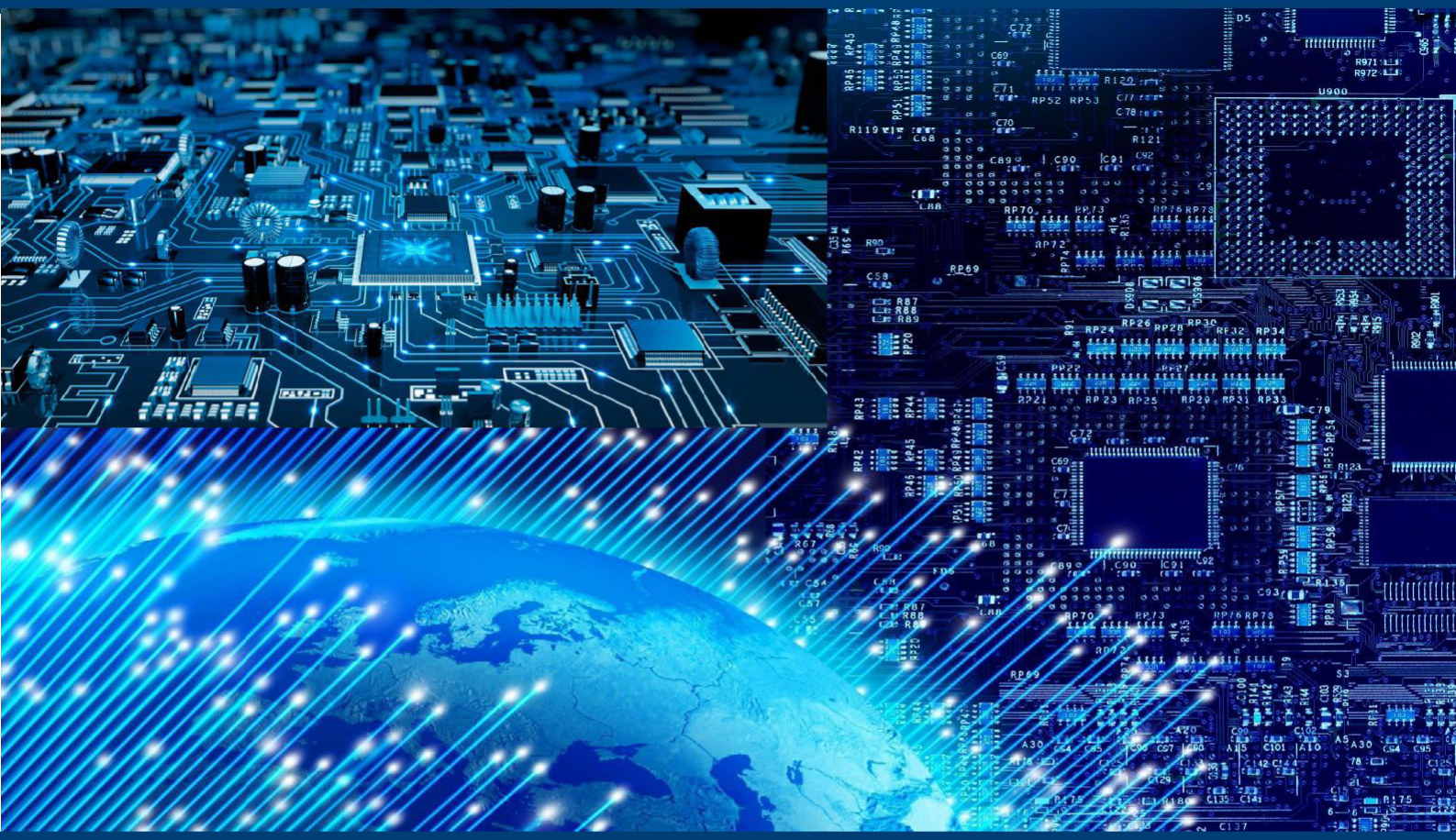

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |